न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2014 (राजसमन्द आर्डर)

1. श्रीमती नवली देवी पत्नी भोलीराम कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)
2. श्रीमती सोसर बाई पत्नी सोहनलाल कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. **श्री हेमराज पिता खेमा कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील व जिला राजसमन्द (राज0) मृतक के वारिसान** :–

   1/1– श्री राजकुमार पिता हेमराज जी कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील राजसमन्द (राज0)

   1/2– श्री प्रकाश पिता हेमराज जी कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील राजसमन्द (राज0)

   1/3– श्री रोशन पिता हेमराज जी कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील राजसमन्द (राज0)

   1/4– श्री जमना शंकर पिता हेमराज जी कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील राजसमन्द (राज0)

   1/5– श्रीमती पुष्पा बाई विधवा हेमराज जी कुमावत निवासी बडारड़ा तहसील राजसमन्द (राज0)

.... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द दिनांक 16–9–2015 प्रकरण
संख्या 61/2011

————

उपस्थित :–1– श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री गिरीश पुरोहित अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

——————/——————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 20–11–2017</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादपत्र की कलम संख्या–2 वर्णित आराजी संख्या 291, 292, 293, 294 ग्राम बडारड़ा में स्थित है, जो कि मोरूषी है तथा प्रार्थी के दादा किशना पिता नन्दा के खाते की होकर विरासत से प्रतिवादी संख्या–1 वादी के पिता को प्राप्त हुई है। भूमि के साबिक आराजी नंबर 513, 514, 515 है जो कि सम्वत् 2022 में खसरा मिलान अनुसार किशना पिता नन्दा के नाम थी व मिलान क्षैत्रफल भी पेश किया। प्रार्थी रेस्पोंन्डेन्ट किशना का पौत्र व खेमा का लड़का है। खेमा के 4 पुत्रों में विपक्षी संख्या–1 व 2 उसके अन्य पुत्रों की पत्निंया सोसर पत्नी सोहनलाल व नवली बाई पत्नी भोलीराम है। खेमा का चोथा पुत्र अम्बालाल है। मोरूषी जायदाद में खेमा व चारों पुत्रों का 1/5 हिस्सा है। खेमा ने अन्य पुत्रों के साथ दुर्भिसन्धी कर प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट को उसके हिस्से में वंचित करने के लिए बिना प्रतिफल विपक्षीगण अपीलान्ट के पक्ष में 4–4–2011 को नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जो कि बिना प्रतिफल व प्रार्थी पर प्रभाव शून्य है। प्रार्थी को अपीलान्ट विपक्षी द्वारा भूमि का विक्रय/हस्तान्तरण नहीं कये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा दिलवाई जाय।

विपक्षी संख्या–1 व 2 की और से खण्डन का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का इस भूमि में कोई हिस्सा नहीं है। खेमजी के अन्य 2 पुत्रियों कंकू व केशी को पक्षकार नहीं बनाया है। कोई दुर्भिसन्धी नहीं हुई है, प्रतिफल लेकर भूमि विक्रय की गई है। प्रार्थी 30 वर्षो से अलग रहता है तथा पिता की सेवा सुश्रुषा भी नहीं करता। भूमियां सद्भावी आवश्यकता विक्रेता की होने के कारण विधिक रूप से क्रय की गई है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद व साक्ष्यों का विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 16–9–2015 से भूमिका विक्रय हस्तान्तरण नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 5–11–2015 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट के वारिसान 1/1 से 1/5 के कायम मुकामान की और से अधिवक्ता श्री गिरीश पुरोहित ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट के पिता खेमा कर्ता खानदान है तथा उनके द्वारा किया गया विक्रय अधिकतम बाईडेबल हो सकता है, वोईड नहीं है। इस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया। पूर्व में भी वाद संख्या 88/97 प्रार्थी का राजस्व अपील अधिकारी स्तर तक अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज हुआ। अतएव यह वाद व प्रार्थना पत्र रेस्ज्युडिकेटा से ग्रसित है। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमियां मोरूषी होना मानकर उसमें प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का जन्म से अधिकार मानकर प्रथम दृष्टया प्रकरण मानकर अस्थाई निर्णय जारी की है। पेश शुदा रेकार्ड से यह सुस्पष्ट होता है कि भूमियां खेमा को उसके पिता किशना से प्राप्त हुई है, परन्तु किशना को उक्त भूमियां मोरूषी से प्राप्त हुई हो, इसकी कोई साक्ष्य नहीं है। अर्थात पिता किशना से प्राप्त भूमियों में उसके पुत्र खेमा के जीवनकाल में खेमा के साथ उसके पुत्र एवं किशना के पौत्र प्रार्थी का जन्म से अधिकार माना है। स्पष्टतया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुत्र के जीवनकाल में उसे अपने पिता से उत्तराधिकार प्रथम दृष्टया नहीं बनता अर्थात दादा की संपति पिता को होने पर, उसके पुत्र अर्थात दादा के पौत्र का तथा पिता के पुत्र का पिता के जीवनकाल में लिखे अनुसार कोई हक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में तब तक नहीं बनता जब तक कि भूमियां सहसदायिकी की होना प्रमाणित नहीं हो यहां भूमियां किशना (दादा) को उत्तराधिकार में मिली हो, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। अन्यथा भी अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरे A.I.R. 1971

(S.C.) पेज 776 अनुसार भी कर्ता हिन्दे संयुक्त परिवार द्वारा बिना विधिक आवश्यकता के किया गया विक्रय वोईडेबल होता है, वोईड नहीं। तद्नुसार भी प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार पर भी प्रथम दृष्टया उक्त प्रकरण की पोषणीयता संदिग्ध रहती है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ भूमियां किशना के नाम होने के आधार पर भूमियों को मोरूषी/सहदायिकी मानकर प्रथम दृष्टया प्रकरण मानने की त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण ही नहीं बनता तो सुविधा का संतुलन व अपीर्णीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं माने जा सकते।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है।

अतएव अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16–9–2015 को अपास्त किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर